मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34 भोपाल, दिनांक 19.05.2020

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-06/13/2003/34/1/ दिनांक 01.08.2003 द्वारा गठित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अधिक्रमित करते हुए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन दिशा-निर्देश (Operational Guidelines) में दिये गये निर्देशों के अनुसार "राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन" (State Water & Sanitation Mission, SWSM) के रूप में पुनर्गठित किया जाता है । जल जीवन मिशन की गतिविधियों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा सुचारू क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश में दिये गये दायित्वों का निवर्हन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा ।

2/ राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (मिशन) के अध्यक्ष मुख्य सचिव, म.प्र. शासन होंगे।

3/ अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मिशन निदेशक (Mission Director) होंगे।

4/ प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम, एवं प्रमुख अभियंता (सलाहकार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मिशन के सह संचालक होंगे।

5/ जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार इस मिशन के अधीन 02 समितियाँ गठित की जायेंगी, जिनमें से एक शिखर समिति (Apex Committee) एवं दूसरी कार्यपालक समिति (Executive Committee) होगी । यह समितियाँ पूर्व से गठित हैं जिन्हें अधिक्रमित करते हुए जल जीवन मिशन के नये दिशा निर्देशों के अनुरूप इस समितियों का पुर्नगठन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

6/ पूर्व में पंजीकृत कराये गये राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधन कराया जाये, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करेगा ।

7/ जल जीवन मिशन के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पदनाम से सिंगल नोडल बैंक खाता खोला जायेगा। इस संबध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18.05.2020 को सहमति दी गयी है।

8/ पूर्व से जिला स्तर पर गठित "जिला जल एवं स्वच्छता मिशन" का, जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार पुर्नगठन किया जायेगा ।

9/ ग्राम की नलजल योजना की अधोसंरचना (In-village Infrastructure) का निर्माण ग्रामसभा के अनुमोदन/ सहमति के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत अथवा उसकी उपसमिति, अथवा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।

M 19/5/2020

क्रमश: .. 2

10/ राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विषय विशेषज्ञ/ सलाहकार/ समन्वयक आदि को सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुबंध/संविदा पर रखा जा सकेगा, जिनके लिये सहायक गतिविधियों के तहत प्रदान की गई राशि का उपयोग किया जा सकेगा ।

11/ वर्तमान में कार्यरत "जल सहायता संगठन" को इस पुनर्गठित "राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन" में समाहित किया जायेगा, तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली सहायक गतिविधियों तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन इस संगठन में उपलब्ध संविदा अमले सहित जल जीवन मिशन के दिशा निर्देश में प्रावधानित अमले द्वारा किया जायेगा । जल सहायता संगठन के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा अमले के वेतन-भत्तों/पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधि एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम में प्राप्त होने वाली राशि से किया जायेगा ।

12/ इस मिशन द्वारा जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तरीय कार्ययोजना (State Action Plan) तैयार की जायेगी जिससे जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। इस मिशन द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर क्रियान्वयन सहायता संस्था (ISAs), तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (TPIs), एवं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दर अनुबंध (Rate Contract) कर पर्याप्त संख्या में एजेंसियों को सूचीबद्ध (Empanelled) किया जायेगा।

13/ इस मिशन द्वारा नलजल योजनाओं के विभिन्न अवयवों की संभावित डिजाईन, ड्राइंग एवं प्राक्कलन तैयार कराकर क्रियान्वयन संस्था को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

14/ विभाग के परिक्षेत्र एवं मण्डल कार्यालयों के अधीन जिलों की जिला कार्ययोजना (District Action Plan) को जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा निर्देश के अनुसार तैयार कराने में समन्वय तथा कार्ययोजना के अनुरूप कार्यों के क्रियान्वयन, प्रगति का अनुश्रवण एवं कार्यों की गुणवत्ता का सतत् निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा की जायेगी । जिला कार्ययोजना तैयार होने के उपरांत कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष/सदस्य सचिव की उपस्थिति में किया जायेगा ।

15/ उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त उन अन्य दायित्वों का भी निर्वहन "राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन" द्वारा किया जायेगा, जिनका उल्लेख जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के परिचालन दिशा निर्देश (Operational Guidelines for Implementation of Jal Jeevan Mission) में है तथा जो भविष्य में भारत सरकार द्वारा "राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन" को सौंपे जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मलय 19/05/2020

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34 भोपाल, दिनांक 19.05.2020

प्रतिलिपि -

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग , नगरीय विकास एवं आवास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली, से अनुरोध है कि कृपया राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शिखर समिति में भारत सरकार के प्रतिनिधि मनोनीत करने की कार्यवाही करें।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम, भोपाल
7. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
8. प्रमुख अभियंता (सलाहकार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
9. परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम, विंध्याचल भवन, भोपाल
10. विशेष सहायक, मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र., भोपाल
11. उप संचालक, जन सम्पर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ) ।

19/05/2020

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग